

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 1972/आश्विन 19, 1894

No. 449] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 1972/ASVINA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 11th October 1972

S.O. 652(E).—Whereas the industrial undertaking known as the Pearl Scooters, 425—427, Industrial Area-A, Ludhiana-2, is engaged in the scheduled industry namely, the automobile industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of Scooterettes in the said industrial undertaking had been gradually going down and that no Scooterettes were produced during the year 1972, for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the gradual fall in the production of Scooterettes in the said industrial undertaking and to ensure that production of vehicles in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri P. R. Latey, Chief (Engg.), Industries & Minerals Divn. Planning Commission, New Delhi.

Members

2. Shri J. N. Luthra, Engineer National Industrial Development Corporation Ltd., Chanakya Bhawan, Vinay Marg, New Delhi-21.
3. Shri B. M. Lal, Financial Adviser, Cement Corporation of India Ltd, 5A, Bahadur Shah Zaffar Marg, New Delhi-1.

Member Secretary

4. Shri S. S. Khosla, Asstt. Development Officer (Auto.), D'te. General of Technical Development, New Delhi.

2. The said body shall submit its report within two months from the date of this Order.

[No. 7(46)/72-AEI(I).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1972

का० प्रा० 652(अ).—यतः पर्ल स्कूटर्स, 425-427, इण्डस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना-2, नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग, अर्थात् आटोमोबाइल उद्योग, में लगा हुआ है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में स्कूटरेट्स के उत्पादन का परिमाण धीरे-धीरे कम होता रहा है और वर्ष 1972 में किसी भी स्कूटरेट्स का उत्पादन नहीं हुआ, जिसका विद्यमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में स्कूटरेट्स के उत्पादन में उत्तरोत्तर ह्रास से उत्पन्न परिस्थिति के उपचार और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अनुसूचित उद्योग में शानों के उत्पादन में ऐसी कमी न हो जिससे लोक हित को हानि पहुँचे, तुरन्त उपाय करना समीचीन है ;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस मामले की परिस्थितियों का पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री पी० आर० लाटे, मुख्य (इंजीनियर),
उद्योग और खनिज प्रभाग, योजना
आयोग, नई दिल्ली

अध्यक्ष

- | | |
|---|------------|
| 2. श्री जे० एन० लूथरा, इंजीनियर
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम
लिमिटेड, चाणक्य भवन, विनय मार्ग,
नई दिल्ली-21 | सदस्य |
| 3. श्री बी० एम० लाल, वित्तीय सलाह-
कार सीमेन्ट कारपोरेशन आफ
इंडिया लि० 5 ए, बहादुरशाह जफर
मार्ग, नई दिल्ली-1 | सदस्य |
| 4. श्री एस० एस० खोसला, महायुक्त विकास
अधिकारी (आटो०) तकनीकी विकास
महानिदेशालय, नई दिल्ली । | सदस्य सचिव |
2. उक्त निकाय इस आदेश की तारीख से दो मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
- [सं० 7(46)/72-ए ई आई (I)]
- एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

